प्ररूप 7 आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **साधारण अनुदेश** :

(क) आवेदन, किसी निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा किया जा सकता है;

(ख) यह आवेदन किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचन के संबंध में कोई आक्षेप करने/किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जिसमें आवेदक स्वयं रजिस्ट्रीकृत है, की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि के प्रस्तावित सम्मिलन के संबंध में आक्षेप करने या निर्वाचक नामावली से आवेदन के अपने नाम को हटाने के अनुरोध के लिए किया जा सकता है।

2. मद संख्यांक 1 (आवेदक का नाम): आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी संख्यांक और अपना/नातेदार (पिता/माता/पति/विधिक संरक्षक) की मोबाइल सं. उल्लिखित करें।

3. मद संख्यांक 2. (आक्षेप/नाम हटाने के आवेदन का विकल्प): आवेदन को किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा जिनके लिए वह आवेदन करने का आशय रखता है। उसे नीचे उल्लिखित कारणों, जैसे मृत्यु के कारण, अवयस्क, अनुपस्थिति/स्थायी रूप से स्थानांतरण, उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर पहले से ही निर्वाचन नामावली में नामांकित है, भारतीय नागरिक नहीं है आदि, के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा कि उसके अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप किया गया है, वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए क्यों अर्हित नहीं है। आक्षेप या नाम को हटाने के लिए दिए गए कारणों हेतु सबूत का भार आवेदक पर होता है।

4. मद सं. 3 (ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है) : आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, भाग सं., क्रम सं. और ईपीआईसी सं. भरनी होगी जिसके नाम को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है या जिसके नाम को हटाना इप्सित है। व्यक्ति के भाग सं, और क्रम सं. की **www.nvsp.in** या मतदाता हेल्पलाइन ऐप से खोज की जा सकती है।

5. घोषणा : आवेदक को "घोषणा" करनी होगी कि आवेदन में वर्णित तथ्य और विशिष्टयां उसकी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। **कृपया यह नोट करें कि घोषणा के किसी भाग में किया गया कोई मिथ्या कथन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है ।**